यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रतिवेदन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, टिहरी के माह 10/2005 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.01.2019 से 30.01.2019 तक श्री महेंद्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रमेश चन्द्र अनुभाग अधिकारी, द्वारा दिनांक 25.10.2005 से 29.10.2005 तक संपादित की गयी थी, जिसमे माह 5/2002 से 09/2005 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2005 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) प्रतिवेदन प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, टिहरी का मुख्य कार्यकलाप सरकारी (राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षको) को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(आ) इकाई का भौगोलिक क्षेत्र समस्त टिहरी जिला है।

(अ) विगत लेखा परीक्षा से बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना			
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2005-06	58.35	57.61	00	00	0.74	00
2006-07	62.71	58.94	00	00	3.77	00
2007-08	76.17	68.64	00	00	7.53	00
09-2008	101.19	100.34	00	00	0.85	00
2009-10	138.19	136.47	00	00	1.72	00
2010-11	150.23	148.75	00	00	1.48	00
2011-12	155.02	154.23	00	00	1.79	00
2012-13	163.02	157.10	00	00	5.92	00
2013-14	168.85	162.63	00	00	6.22	00
2014-15	210.57	207.80	00	00	2.77	00
2015-16	219.99	210.05	00	00	9.94	00
2016-17	268.85	264.54	00	00	4.31	00
2017-18	284.49	280.26	00	00	4.23	00
2018-19	280.75	252.26	00	00	00	00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विगत लेखा परीक्षा से प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः
(रू॰ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	विविध प्राप्तिया	कुल प्राप्तिया	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2005-06	प्रशिक्षण	00	2.25	00	2.25	2.25	00	00
2006-07		00	4.50	00	4.50	4.40	00	0.10
2007-08		00	6.50	00	6.50	6.25	00	0.25
2008-09		00	00	00	00	00	00	00
2009-10		00	8.50	00	8.50	8.35	00	0.15
2010-11		00	8.50	00	8.50	8.25	00	0.25
2011-12		00	9.00	00	9.00	8.90	00	0.10
2012-13		00	10.50	00	10.50	10.50	00	00
2013-14		00	8.50	00	8.50	8.50	00	00
2014-15		00	00	00	00	00	00	00
2015-16		00	40.08	00	40.08	13.25	00	26.83
2016-17		00	9.00	00	9.00	8.30	00	0.70
2017-18		00	18.55	00	18.55	18.43	00	0.12
2018-19		00	1.00	00	1.00	1.00	00	00

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई की श्रेणी "सी" है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1-सचिव, 2-महानिदेशक, 3-निदेशक (MDM), 4-अपरनिदेशक (MDM), 5-मुख्य शिक्षा अधिकारी, 6-जिला शिक्षा अधिकारी (MDM) 7- प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

(v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**,** टिहरी की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**,** टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2016, 10/2015, 03/2014, 05/2011को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माह का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- रू. 62.00 लाख व्यय होने के उपरांत भी उद्देश्यों का अप्राप्त रहना।

शासनादेश संख्या 1110/ XXIV-3/16/02(201)15 दिनांक 02.09.2016 के द्वारा डाइट, नई टिहरी मे बहुद्देशीय हाल के निर्माण हेतु रू॰ 69.97 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृति आदेश के बिन्दु 11 के अनुसार उक्त कार्य के संबंध मे वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से MOU अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाना था। कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुए डाइट के समस्त कार्यो को समयबद्ध रूप से समयसारणी बनाते हुए निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करते हुए भवन विभाग को हस्तगत कराय जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलंब या अन्य किसी भी दशा मे आगणन पुनरीक्षण पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**,** के निर्माण संबंधी अभिलेखो की जांच मे पाया कि 01.10.2016 को प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई टिहरी, व निर्माण एजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, नई टिहरी के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) सम्पन्न हुआ, जिसके बिन्दु 2 के अनुसार हाल का निर्माण कार्य 20.1.2016 को प्रारम्भ करते हुए 25.04.2017 तक 100% भौतिक प्रगति की प्राप्ति की जानी थी तथा 25.05.2017 तक हाल इकाई को हस्तगत किया जाना था।

इकाई के अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि स्वीकृत धनराशि रू॰ 69.97 लाख के सापेक्ष 3/2018 तक अवमुक्त धनराशि रू॰ 62.00 लाख के सापेक्ष रू॰ 62.00 लाख कि धनराशि व्यय की जा चुकी थी तथा वित्तीय व भौतिक प्रगति 100% थी तथा रू॰ 7.97 लाख की धनराशि अवशेष थी। आगे जांच मे यह भी पाया गया कि वित्तीय व भौतिक प्रगति 100% के बावजूद हाल इकाई को हस्तांतरित नहीं हुआ था तथा रू॰ 7.97 लाख की धनराशि अवशेष थी। इस प्रकार जिस हाल को MOU के अनुसार 25.5.2017 तक हस्तगत हो जाना चाहिए था, वह एक वर्ष व 7 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी इकाई को हस्तगत नहीं हुआ था तथा जिन उद्देश्यों के लिए उसका निर्माण कराया गया था वह उद्देश्य भी पूरे नहीं हो रहे थे।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि बरसात मे सड़क व सामग्री समय पर उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पाया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि धनराशि उपलब्ध थी तथा MOU के अनुसार हाल 25.5.2017 तक हस्तगत हो जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- विभागीय उदासिनता के कारण रू॰ 3.50 लाख मूल्य की ऑफ रोड वाहन की नीलामी लंबित रहना।

आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व है कि निषप्रोजय हुई वस्तुओ की अविलंब नीलामी की कार्यवाही करे ताकि वस्तुओ का उचित मूल्य राजस्व प्राप्ति के रूप मे प्राप्त हो।

प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**,** टिहरी के राजकीय वाहन स॰ UA 09**/**0941 की लॉग बुक की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि वाहन 31.12.2012 से ऑफ रोड हो गया था, वाहन का खरीद के समय मूल्य रू. 3.50 लाख था, तथा इकाई द्वारा वाहन की तकनीकी जांच हेतु संभागीय परिवहन अधिकारी को दिनांक 18.01.2017 को पत्र लिखा गया था। इस प्रकार वाहन को खड़े हुए 6 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है और आतिथि तक नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी थी, जिसके कारण नीलामी से प्राप्त होने वाला राजस्व अप्राप्त था। उल्लेखनीय है वाहन सड़क के किनारे खुले मे खड़ा था तथा इकाई मे वाहन हेतु गैराज की व्यवस्था भी नहीं थी। इस स्थिति मे वाहन के जीर्णशीर्ण स्थिति मे पहुचने तथा राजस्व के शून्य होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किया जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि इस संबंध मे शीघ्र नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। इकाई का उत्तर स्वत: लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
96/2005-06	शून्य	1	शून्य

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
96/2005-06	अनुपालन आख्या उच्च अधिकारी की संस्तुति के साथ नहीं की गयी।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रतिवेदन प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**,** टिहरी द्वारा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
2. शून्य

3- सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया|

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री राम कृष्ण उनियाल	प्राचार्य	01.07.2002 से 03.02.2003
2.	श्री त्तेज प्रकाश थपलियाल		04.02.2003 से 11.07.2003
3.	श्री राम कृष्ण उनियाल		12.07.2003 से 31.03.2006
4.	श्री सतेन्द्र कुमार		01.04.2006 से 13.12.2006
5.	श्री भाजन लाल		14.12.2006 से 12.12.2007
6.	श्री अजय कुमार नौडियाल		13.12.2007 से 04.08.2009
7.	श्री नारायण लाल		05.08.2009 से 31.12.2012
8.	श्री उदय सिंह चंदपुरी		01.01.2013 से 16.01.2014
9.	श्री राकेश चन्द्र जुगरान		17.01.2014 से 31.07.2015
10.	श्री अशोक कुमार सिंह		01.08.2015 से 05.08.2015
11.	श्री चेतन प्रसाद नौटियाल		06.08.2015 से 30.11.2015
12.	श्री चित्रा नन्द काला		01.12.2016 से 29.05.2017
13.	श्री अशोक कुमार सिंह		30.05.2017 से 12.12.2017
14.	श्री चेतन प्रसाद नौटियाल		13.12.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्राचार्य**,** जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान**,** टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (ले॰प॰) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़ रोड, देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.